11/02/25 उभय पक्ष अ.न.। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2022/167

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 279/2022 GCMS:- 2022/167 दायर दिनांक : 04.10.2022

केवल सिंह पुत्र जगताराम जाति रामदासिया निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. राज. सरकार जरिये पैरोकार मार्फत राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़
2. विमला देवी पत्नी मलकीयत सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. भजन लाल पुत्र जगतराम जाति रामदासिया निवासी 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुखदेवराम पुत्र जगतराम जाति रामदासिया निवासी 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ़ केंट एरिया तहसील सूरतगढ़
6. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा भगवानसर तहसील सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक, अभिभाषकगण वादी की ओर से
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
3. श्री कमल दत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 11.02.2025

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पैरोकार राज व अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 के नाम से वाके चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 68/55 के पत्थर नं. 42/336 (13) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 8 से 13, 18 से 23 = 20 नहरी मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें वादी के नाम 1/4 हिस्सा अंकित है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम केवलराम अंकित है, जबकि वादी का सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:19 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

केवल सिंह है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, बैंक पास बुक, विद्युत कनेक्शन बिल आदि में वादी का नाम केवल सिंह ही अंकित है। वादी ने जमाबन्दी में अपना नाम संशोधन करवाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिए वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी अनेकों सुविधाओं से वंचित हो रहा है, इसलिए वादी ने तहसीलदार सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम केवलराम के स्थान पर केवल सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया। वाद के साथ चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 खाता सं. 68/55 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई श्रम कार्ड, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, बैंक पास बुक, विद्युत कनेक्शन बिल की सत्यापित चित्रप्रतियां पेश कीं।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 6 ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 150 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सं. 133, दिनांक 04.03.2020 के द्वारा ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा भगवानसर का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किये जाने के कारण वाद–पत्र में संशोधन कर प्रतिवादी सं. 6 ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा भगवानसर के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा भगवानसर अंकित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही जवाब दावा प्रस्तुत कर भूमि बैंक में रहन होने के कारण प्रतिवादी सं. 6 के हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र 150 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा भगवानसर के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा भगवानसर लाल स्याही से दर्ज किये के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार राज ने जवाब दावा प्रस्तुत कर राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 ने जरिये अभिभाषक इकबाल दावा प्रस्तुत कर [illegible] तथ्यों को स्वीकार करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:19 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हुए निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार किये जाने पर प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 को कोई एतराज नहीं है। साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य में वादी ने स्वयं के बयान शपथ–पत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिस पर जिरह प्रतिवादीगण शून्य रही। वादी द्वारा और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। प्रतिवादीगण भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द कर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में उपलब्ध चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 खाता सं. 68/55 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई श्रम कार्ड, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, बैंक पास बुक, विद्युत कनेक्शन बिल की सत्यापित चित्रप्रतियों को अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वाके चक 1 के.एस. आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के संयुक्त खाता सं. 68/55 के पत्थर नं. 42/336 (13) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 नहरी मय खाला भूमि में वादी के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम केवलराम अंकित है, जबकि वादी का सही नाम केवल सिंह है। वादी के नाम अंकित जैरवाद भूमि की जमाबन्दी व वादी के दस्तावेजों में नामों में एकरूपता नहीं होने के कारण वादी कृषि सुधार से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, इसलिए जैरवाद वाके चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 68/55 के पत्थर नं. 42/336 (13) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में वादी की 1/4 हिस्सा भूमि का केवलराम के स्थान पर केवल सिंह को खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 ने इकबाल दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद [illegible] र किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:19 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। वाके चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 68/55 के पत्थर नं. 42/336 (13) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में वादी अपने नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना बताते हुए, जमाबन्दी में अंकित वादी अपने नाम केवलराम के स्थान पर केवल सिंह अंकित करवाना चाहता है। जमाबन्दी व वादी के दस्तावेजों में नामों में एकरूपता नहीं होने के कारण वादी कृषि सुधार से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। सभी दस्तावेजों में नामों में एकरूपता होना प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से भी उचित है। प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 ने जरिये अभिभाषक इकबाल दावा प्रस्तुत किया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से वाद पूर्ण रूप से सन्देह से परे साबित हो रहा है व वाद स्वीकृति से राज्य हित भी प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर जैरवाद वाके चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के संयुक्त खाता सं. 68/55 के पत्थर नं. 42/336 (13) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का अंकित खातेदार 'केवलराम' के स्थान पर 'केवल सिंह' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के संयुक्त खाता सं. 68/55 में अंकित 3.795 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि के अंकित खातेदार 'केवलराम' के स्थान पर 'केवल सिंह' अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं, शेष अंकन यथावत रहेंगे। यदि भूमि केवलराम के नाम रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन केवलसिंह के नाम यथावत रहेगा और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व केवल सिंह का यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....11.02.2[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–
केवल सिंह पुत्र जगताराम जाति रामदासिया निवासी चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. **राज. सरकार जरिये पैरोकार मार्फत राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़**
2. **विमला देवी पत्नी मलकीयत सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **भजन लाल पुत्र जगतराम जाति रामदासिया निवासी 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
4. **सुखदेवराम पुत्र जगतराम जाति रामदासिया निवासी 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
5. **शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ़ केंट एरिया तहसील सूरतगढ़**
6. **शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा भगवानसर तहसील सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 279 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादी श्री राम प्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक एवं पैरोकार राज अभिभाषक तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 श्री कमल दत्त शर्मा** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार कर जैरवाद वाके चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के संयुक्त खाता सं. 68/55 के पत्थर नं. 42/336 (13) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का अंकित खातेदार 'केवलराम' के स्थान पर 'केवल सिंह' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के संयुक्त खाता सं. 68/55 में अंकित 3.795 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि के अंकित खातेदार 'केवलराम' के स्थान पर 'केवल सिंह' अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं, शेष अंकन यथावत रहेंगे। यदि भूमि केवलराम के नाम रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन केवलसिंह के नाम यथावत रहेगा और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व केवल सिंह का यथावत रहेगा।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की जायेगी।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.02.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड (अधिकारी)
सूरतगढ़